तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं.:– 37/2022 बअनवान सरकार बनाम मृतक सुखदेवी के कायम मुकाम मोड़ाराम	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28-08-2025	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी मोड़ाराम को जारी नोटिस इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ कि अप्रार्थी मोड़ाराम 25 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है अर्थात् प्रार्थी ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी प्रार्थना–पत्र पेश करते समय से मृत है, तो ऐसा प्रार्थना–पत्र प्रारम्भ से ही शून्य की ताईद में आता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत व्यक्ति कोई पक्षकार नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, तो उसकी विधिक हैसियत समाप्त हो जाती है। अतः उसके विरूद्ध कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2005) 6 SCC 733 Kasturi v. Iyyamperumal & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Filling a suit against a dead person is a nullity in the eyes of law and cannot be cured by bringing the legal representatives later" उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर निष्पादित किया जाता है। प्रार्थी, अप्रार्थी के समस्त वारिसानों को पक्षकार संयोजित कर सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ पुनः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करे। निर्णय की सत्यप्रति प्रार्थी को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। अति जिला कलक्टर, पाली	